अग्रिम प्रति प्रेषित
महत्वपूर्ण प्रकरण –ई0मेल द्वारा

सेवा में,

अपर सचिव,
उच्च शिक्षा, अनुभाग–04
उत्तराखण्ड शासन।

द्वारा : **उचित माध्यम**
निदेशक– उच्च शिक्षा
उच्च शिक्षा निदेशालय,उत्तराखण्ड।

पत्रांक – ११६ / दीर्घावकाश–उपार्जित अवकाश / 2023–24 दिनांक – 26 जुलाई, 2023

विषय – महाविद्यालय दीर्घावकाश (शीत / ग्रीष्म) में महत्वपूर्ण कार्यो हेतु तथा विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य हेतु रोके जाने पर देय उपार्जित अवकाशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या– 2478 / डिग्री सेवा –1 / प्राचार्य–निर्देश / 2023–24 दिनांक–21 जुलाई, 2023 जो आपको पृष्ठांकित है। साथ ही उक्त प्रकरण पर संलग्न निदेशालय की बैठक, दिनांक 20 जुलाई, 2023 के कार्यवृत्त का संज्ञान लेना चाहे। **(संलग्न–1)**

महोदय, निदेशालय के उपरोक्त वर्णित पत्र के निर्णय से तकनीकी व व्यवहारिक समस्या परिलक्षित हो रही है। अतः सादर अनुरोधपूर्वक निवेदन है कि उक्त आदेश / निर्देश पर परामर्शी विभाग **(वित्त विभाग)** से परामर्श प्राप्त कर शासन स्तर से ही प्रकरण को सुस्पष्ट कर वृहद कार्यहित में दिशा निर्देश प्रदान करने की असीम कृपा करना चाहे।

कृपया विसंगतियों के दृष्टिगत निम्न तथ्यों व औचित्यों का संज्ञान लेना चाहे।

1. समस्त **समूह–क** कार्मिकों हेतु मूलतः अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार नियुक्ति अधिकारी में निहित होता है। कार्यो के सुगम निस्तारण हेतु वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी **"अधिकारों के प्रतिनिधायन"** (Delegation of Power) के माध्यम से सामान्य श्रेणी के अवकाशों (उपार्जित अवकाश सहित) को स्वीकृति / अस्वीकृति करने का अधिकार यथा विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्षो को हस्तान्तरित किया गया है। **अतः विवाद उत्पन्न होने पर प्रतिनिधायनित / प्रत्यायोजित शक्तियों की व्याख्या / संशोधन का अधिकार उस विभाग / अधिकारी को ही है, जिसने शक्तियॉ प्रत्यायोजित / प्रतिनिधायनित की है न कि किसी अन्य को ।** पूर्व में भी वर्ष 2020 में 'यात्रा अवकाश' विवाद पर वित्त विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई थी ।**(संलग्न–2) अतः उपरोक्त प्रस्तर–1 में वर्णित निदेशालय का पत्र, संलग्न कार्यवृत व पूर्व पत्र तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण तथा शासन के अधिकारो का अतिकमण प्रतीत होता है ।**

2. कृपया विषयगत प्रकरण के दृष्टिगत वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 02 के **मूल नियम–82(ख)** तथा **सहायक नियम 145** का संज्ञान लेना चाहे। **(संलग्न–3 व 4)**

सहायक नियम 145 (उद्धृत– हिन्दी)

"सरकारी कर्मचारी जिसकों अपने दीर्घावकाश के कुछ अंश में **अपने स्थान** पर ही **कार्यवश रहना पड़ता है,** तो यह नही समझा जाता कि उसने दीर्घावकाश का लाभ उठाया, **यदि वह ड्यूटी के अतिरिक्त अपने स्थान से 15 दिन से अधिक अनुपस्थित नही रहा।** प्रत्येक ऐसे सरकारी कर्मचारी को दीर्घावकाश के समाप्त होने के तुरन्त पश्चात सहायक नियम 146 के नीचे टिप्पणी 2 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।"

सहायक नियम 145 (उद्धृत– अंग्रेजी)

"A government servant whose work requires him to be **present at his station** for a portion of the vacation is not considered to have availed himself of the vacation if he has not been **absent from the station except on duty for more than fifteen days of the vacation.** Every such government servant should, immediately after the close of the vacation, Furnish a certificate in the form and according to the procedure prescribed in note 2 under subsidiary Rule 146"

3- कृपया उपर्युक्त वर्णित सहायक नियम 145 के निम्न **Key words** का अवलोकन करना चाहे:– **अपने स्थान (station) ड्यूटी (on duty), 15 दिन (15 days), अपने स्थान पर कार्यरत रहना (Present at his station), अपने स्थान से 15 दिन से अधिक अनुपस्थित नही रहा (he has not been absent from the station except on duty for more than 15 days of vacation)**

➢ लगातार 15 दिवसो (रविवार/राजपत्रित अवकाश सहित) को ड्यूटी मानने के आधार –

(क) महोदय स्पष्ट है कि कार्मिक को सक्षम स्तर से दीर्घावकाशों में अपने **स्टेशन में ड्यूटी के दृष्टिगत 15 दिनों से अधिक** रोके जाने पर नियमानुसार उपार्जित अवकाश देय होता है।

(ख) उक्त अवधि में कार्मिक को स्टेशन में रूक कर कार्य करना होगा साथ ही इसी अवधि में अवश्यकतानुरूप कार्य के दृष्टिगत ही सक्षम अधिकारी द्वारा **कार्मिक को अन्य स्टेशनों में भी बिना यात्रा के मध्य पडने वाले राजपत्रित/रविवार अवकाशों का संज्ञान लिए हुए भेजा जा सकता है।**

(ग) सहायक नियम–145 में '15 दिन ' **से अधिक शब्द का उल्लेख** है **ना कि 15 कार्यदिवसों का** । साथ ही वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड़ –दो के **मूल नियम 82(ख)** में अंकित प्रथम पंक्ति का संज्ञान लेना चाहे जिसमें स्पष्ट रूप से **दीर्घावकाश (vacation) को ड्यूटी माना गया है। (संलग्न–3) इसी कारण दीर्घावकाशो में भी कार्मिको को रविवार/राजपत्रित अवकाशो सहित सम्पूर्ण माह का वेतन भुगतान किया जाता है ।**

(घ) कार्मिकों को वर्ष के प्रत्येक रविवारों/राजपत्रित अवकाशों आदि को शासकीय रूप से ड्यूटी मानकर ही सम्पूर्ण माह का वेतन भुगतान किया जाता है। **अतः नियम– 145 में उल्लेखित 15 दिवसों को ड्यूटी ही माना गया है क्योंकि कार्मिक** अपने **कर्त्तव्य निवर्हन हेतु स्टेशन में उपस्थित होता है।**

(ङ) कार्मिक द्वारा अर्जित किए गए उपार्जित अवकाश को भविष्य में उपभोग के समय **अवकाश अवधि के मध्य पडने वाले रविवार/राजपत्रित अवकाशों को भी उपार्जित अवकाश उपभोग खाते से ड्यूटी माने जाने के कारण ही घटाया जाता है।**

(च) वेकेशनल कार्मिकों को वर्ष में 60 दिवसो का दीर्घावकाश देय है । मूल नियम **82(ख)** तथा **सी0सी0एस रूल्स नम्बर–28** वर्ष 1972**(संशोधित वर्ष 2022) के** में स्पष्ट है कि 60 दिवसो का दीर्घावकाश उपभोग न कर पाने की स्थिति में **अधिकतम 30 उपार्जित अवकाश की सीमा तक ही देय है । अतः दीर्घावकाशो अतिविशेष परिस्थियों/कार्यो में अति न्यून कार्मिकों को ही आंशिक दीर्घावकाश में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा रोका जाता है ।**

(च) सहायक नियम 145 तथा मूल नियम 82 (ब) में कहीं भी उल्लेख नही किया गया है कि किन–किन अति महत्वपूर्ण शासकीय कार्यो हेतु ही सक्षम अधिकारी द्वारा दीर्घावकाशों में कार्मिको को रोका जा सकता है।

समय–समय पर राज्य सरकार के विभागों द्वारा **आपदा, लोकसभा / विधानसभा निर्वाचन, राष्ट्रीय सेवा योजना के वार्षिक शिविरों, परीक्षाए आदि** के दौरान भी दीर्घावकाश में रोके जाने का प्रावधान रहा है। अतः निदेशालय की विषयगत प्रकरण पर बैठक के अननुमोदित कार्यवृत्त बिन्दु सं0 01, 02 तथा 04 विसंगतीपूर्ण प्रतीत हो रहे है अपितु बिन्दु सं0 03 व 05 उपयुक्त प्रतीत हो रहे है।

महोदय, से करबद्ध निवेदन है कि प्रकरण का मेरे द्वारा उपलब्ध काराए गए आधारों के आलोक में वित्त विभाग से परीक्षण करा कर शासन (नियोक्ता) स्तर से निर्देश जारी कर विभाग के अत्यन्त विवादित व महत्वपूर्ण प्रकरण का अन्तिम निस्तारण कराया जाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का कष्ट करना चाहें ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

संलग्न –: यथोपरि ।

भवनिष्ठ

26/7/23

(डा0 राजीव रतन)
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय किच्छा
ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

पत्रांक – /दीर्घावकाश–उपार्जित अवकाश/2023–24 **दिनांक** – तद्दिनांक

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. **सचिव,** उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(डा0 राजीव रतन)
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय किच्छा
ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

संलग्न –1

ई मेल

प्रेषक,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 2478/डिग्री सेवा–1/प्राचार्च–निर्देश/2023–24 दिनाँकः 21 जुलाई, 2023

विषयः **महाविद्यालय दीर्घावकाश (शीतावकाश/ग्रीष्मावकाश) में महत्वपूर्ण कार्यों हेतु रोके जाने तथा विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य हेतु रोके जाने पर देय उपार्जित अवकाशों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक महाविद्यालय स्तर से की जा रही जिज्ञासाओं के आलोक में निदेशालय स्तर पर गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त एवं निदेशालय के पूर्व पत्रांक डिग्री सेवा/11003–91/2014–15 दिनांक 03 नवम्बर, 2014 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार संलग्न कार्यवृत्त एवं निदेशालय के पूर्व पत्रांक डिग्री सेवा/11003–91/2014–15 दिनांक 03 नवम्बर, 2014 के अनुसार उपार्जित अवकाश सम्बन्धी प्रकरणों पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

(डॉ0 चन्द्र दत्त सूँठा)
निदेशक उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ0सं0: 2478-79/डिग्री सेवा–1/प्राचार्य–निर्देश/2023–24 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः अपर सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः उक्तवत्।

(डॉ0 चन्द्र दत्त सूँठा)
निदेशक उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

Ghani/Coll. Imp./Principal Direction

महाविद्यालय दीर्घावकाश (शीतावकाश/ग्रीष्मावकाश) में नैत्यिक कार्यों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन हेतु प्राध्यापकों को रोके जाने के एवज् में उपार्जित अवकाश तथा विशेष अवकाश की देयता के सम्बन्ध में एकरूपता लाने हेतु एक नीति निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 20 जुलाई, 2023 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनॉक 20 जुलाई, 2023 को उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी (नैनीताल) में दीर्घावकाश में उपार्जित अवकाशों की गणना के सम्बन्ध में एक बैठक हुई, जिसके गठित समिति के निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहें:–

1. डॉ0 ए0एस0 उनियाल, संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा।
2. डॉ0 अंजू अग्रवाल, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्दूचौड़।
3. डॉ0 कमल किशोर पाण्डे, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाजपुर।

समिति के सदस्यों द्वारा दीर्घावकाश में उपार्जित अवकाशों की गणना के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रस्ताव पारित किये गये :–

1. उपार्जित अवकाश की गणना के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्रांक डिग्री सेवा/11003–91/2014–15 दिनांक 03 नवम्बर, 2014 द्वारा समस्त राजकीय महाविद्यालयों को निर्गत आदेशों के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त आदेश अद्यतन संशोधित नहीं हुआ है।
2. विगत वर्षों में दीर्घावकाशों पर रोके जाने के एवज् में रविवार और राजपत्रित अवकाशों को जोड़कर उपार्जित अवकाश की गणना की गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि दीर्घावकाश रविवार व राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर (केवल कार्य दिवस) घोषित किये जाते है।
   (प्राचार्य स्तर पर उक्त निर्गत आदेशों के अनुसार सेवापुस्तिकाओं की जॉच कर कार्यवाही की जानी होगी)
3. समस्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों/UOU, IGNOU, UGC द्वारा संचालित कौशल विकास पाठ्यक्रम/नियमित/आनलाईन कार्य हेतु रोके जाने पर उपार्जित अवकाश देय नही होगा।
   (सेवापुस्तिकाओं की जॉच कर प्राचार्य स्तर से अवकाशों की गणना सही की जानी होगी) कार्यवाही–प्राचार्य स्तर से
4. विश्वविद्यालय परीक्षा के अतिरिक्त अन्य शिक्षणेत्तर कार्यों (एन0एस0एस0/एन0सी0सी0/रोबर रेजर्स/क्रीड़ा कार्यो) हेतु उपार्जित अवकाश दिया जाना उचित नहीं है। यदि दीर्घावकाशों में महत्वपूर्ण कार्यों हेतु रोका जाना है तो रोके जाने हेतु निदेशालय से पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
5. निदेशालय द्वारा किसी कार्मिक को निदेशालय स्तर से सम्बद्ध किये जाने की स्थिति में उपार्जित अवकाश सम्बन्धी निर्णय सम्बद्धता आदेश के साथ तय किये जायेंगे।

अतः समिति उपार्जित अवकाश प्रकरण पर उक्तवत् संस्तुति प्रदान करती है।

(डॉ0 अंजू अग्रवाल)
प्राचार्य, रा0स्ना0महावि0, हल्दूचौड़

(डॉ0 कमल किशोर पाण्डे)
प्राचार्य, रा0स्ना0महावि0, बाजपुर

(डॉ0 ए0एस0 उनियाल)
संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा

(डॉ0 सी0डी0 सूँठा)
निदेशक, उच्च शिक्षा

(2/10)

प्रेषक,

निदेशक,उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी(नैनीताल)।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः डिग्री सेवा/ 11093-91 /2014-15 दिनांकः 03 नवम्बर,2014

विषयः उपार्जित अवकाश की गणना के संबंध में।

महोदय,

प्रायः देखा जा रहा है कि आप द्वारा महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों व दीर्घावकाश में कार्य करने के एवज् में उपार्जित अवकाश स्वीकृति के प्रकरण नियमानुसार निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराये जा रहें हैं, जिससे निदेशालय स्तर पर प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक/कर्मचारी जिन्हें दीर्घावकाश में विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं तथा प्राचार्यो द्वारा महाविद्यालयों के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न कराये जाने हेतु महाविद्यालयों में रोका गया है, उन्हें नियमानुसार उपार्जित अवकाश की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाय कि दीर्घावकाश में ड्यूटी की अवधि 1 दिवस से अधिक रही हो। ड्यूटी की अवधि निर्धारित दिवसों से कम होने पर अर्जित अवकाश दे नहीं होगा। यह भी निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं तथा प्राचार्यो द्वा महाविद्यालयों के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न कराये जाने के अतिरिक्त महाविद्यालयों के समस्त का जनहित में होने के दृष्टिगत उपार्जित अवकाश अनुमन्य नहीं होगा।

अतः संबंधित प्राचार्य अपने अधीनस्थ शिक्षकों/कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश निस्तारण उल्लिखित व्यवस्थान्तर्गत अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें तथा प्राचार्य के प्रक निस्तारण हेतु निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0जगदीश प्रसाद),
निदेशक,उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी(नैनीताल)

पृ0सं0:डिग्री सेवा/ 11092 /2014-15 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः सचिव,उच्च शिक्षा,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0जगदीश प्रसाद),
निदेशक,उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी(नैनीताल)

(3/10)

संख्या– /XXVII(7)20–50(18)/2020

संलग्न – 2

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे०आ०–सा०नि०) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 18 सितम्बर, 2020

विषयः– **पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को उनके गृह जनपद जाने के लिए पूर्व में अनुमन्य आकस्मिक अवकाश के साथ यात्रा अवधि अवकाश की सुविधा समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या–No-2490/II 749 दिनाक 23 अप्रैल, 1937 द्वारा उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में कार्यरत पर्वतीय क्षेत्र के निवासी कर्मचारियों को वर्ष में एक बार अपने घर (पर्वतीय क्षेत्र) जाने के लिए आकस्मिक अवकाश के साथ यात्रा अवधि की विशेष सुविधा दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी। पृथक राज्य गठन होने एवं कार्मिकों के अन्तिम आवंटन के फलस्वरूप कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 23 अप्रैल, 1937 को शासनादेश संख्या–13/6/2002– का–1–2003 दिनांक 07 जनवरी, 2003 द्वारा निरस्त किया गया है।

2. पृथक राज्य गठन होने के उपरान्त वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय–ज्ञाप संख्या–No-2490/II 749 दिनाक 23 अप्रैल, 1937 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–276 (1)/XXVII(7)–50(18)/2020, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(4/10)

...देकर अथवा नियुक्ति के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार अन्यथा अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर अथवा नियुक्ति के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार अन्यथा सेवा समाप्त कर दिये जाने पर, सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्योजन की समाप्ति पर, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिये जाने पर, अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी-4-1002/दस-200-77, दिनांक 26 अप्रैल, 1978, संख्या सामान्य-4-1327/दस-200-77, दिनांक 18 जून, 1979, संख्या सामान्य-4-1687/दस-83-200/77-टी० सी०, दिनांक 25 जुलाई, 1983 तथा संख्या सा-4-1283/दस-200/88, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में निहित शर्तों के अन्तर्गत 240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन ग्राह्य है।

2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1998) के सातवें प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उपर्युक्त आदेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 240 दिन के स्थान पर 300 दिन तक के अर्जित अवकाश तक सीमित रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

3. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-4-1283/दस-200/88, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में सेवानिवृत्ति के दिनांक को अवकाश लेखे में जमा उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है :

$$\text{नकद समतुल्य} = \frac{\text{सेवानिवृत्ति के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते}}{30} \times \text{240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवानिवृत्ति के दिनांक को सम्बंधित सरकारी सेवक के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या।}$$

उक्त प्रस्तर 2 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप अब 240 दिन के स्थान पर 300 दिन रख करके नकद समतुल्य का आगणन किया जाये।

4. यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

5. सम्बन्धित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही पृथक् से की जायेगी।

81-ग. *[निकाल दिया गया।]*

82. निम्नलिखित प्रावधान (provisions) केवल दीर्घावकाश विभागों **(vacation departments)** पर लागू होते हैं :

(क) वे विभाग या विभागों के भाग जिन्हें दीर्घावकाश विभाग (vacation department) माना जायेगा और वे दशायें जिनमें यह समझा जायेगा कि सरकारी कर्मचारी ने दीर्घावकाश का उपयोग कर लिया है, ऐसे नियमों के अनुसार निश्चित किये जायेंगे, जिन्हें राज्यपाल निर्धारित कर दें।

[नियम 82 के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियमों के लिए इस खण्ड के भाग 3 के अध्याय 11 देखिये।]

मूल नियम 82(ख)

(ख) दीर्घावकाश (vacation) ड्यूटी माना जाता है। लेकिन निम्नवर्ग के कर्मचारियों को छोड़कर, उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो 1 जनवरी, 1936 के पूर्व नियुक्त हुए हों, नियम 77, 81-क और 81-ख में अवकाश की अवधि से, साधारणतया प्रत्येक ऐसे वर्ष की ड्यूटी के लिए, जिसमें सरकारी कर्मचारी ने दीर्घावकाश (vacation) का उपभोग (avail) किया हो, एक महीना घटा देना चाहिये। यदि किसी वर्ष में दीर्घावकाश के केवल एक अंश का ही उपभोग किया गया है, तो जो अवधि घटायी जाये वह महीने की ऐसी भिन्न (fraction) होगी जो दीर्घावकाश की पूर्ण अवधि से उपभोग किये हुए दीर्घावकाश के अनुपात के बराबर हो।

नियम 82 (ख) से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश

उस सरकारी कर्मचारी के मामले में, जिसने अवकाश लेते समय एक वर्ष की पूरी ड्यूटी नहीं की है, और उस कारण से दीर्घावकाश (vacation) के किसी अंश का उपयोग नहीं किया है, परन्तु जो अवकाश के क्रम में अगले दीर्घावकाश का उपभोग करे यह निर्णय लिया गया है कि इस नियम के खण्ड (ख) के प्रयोग के लिए जैसा कि लेखा-परीक्षा अनुदेश के पैरा 1 में स्पष्ट किया गया है, उस अवधि के लिए जिसमें कि 1/11 जमा किया जाता है, 1/12 घटा देना चाहिये। यदि आगे चलकर यह पता चले कि दीर्घावकाश का उपयोग नहीं किया गया है तो जो भाग पहले घटा दिया गया हो उसमें उपयुक्त शुद्धि कर देनी चाहिए।

नियम 82 (ख) से सम्बन्धित लेखा-परीक्षा अनुदेश

1. शब्द "प्रत्येक ऐसे वर्ष की ड्यूटी" के अर्थ दीर्घावकाश (vacation) विभाग में की गई बारह महीने की वास्तविक ड्यूटी लगाना चाहिये न कि एक पंचांग वर्ष (calendar year), जिसमें ड्यूटी की गई हो। यदि सरकारी कर्मचारी ने ऐसे दीर्घावकाश (vacation) का उपभोग किया हो, जो उस दिन से प्रारम्भ होने वाले बारह महीने के अन्दर पड़े जिस दिन अवकाश से लौटने पर या उसने दूसरे प्रकार से अपनी ड्यूटी करना आरम्भ किया हो, तो उसके अवकाश-लेखे में एक महीने घटा देना चाहिये। इसकी कोई बात नहीं है कि वह दिन जब यह एक वर्ष समाप्त होता है, अगले पंचांग वर्ष के दीर्घावकाश में पड़े। प्रश्न केवल यह है कि क्या सरकारी कर्मचारी ने ऐसे दीर्घावकाश का उपभोग (avail) किया है, जो उक्त अर्थ में एक वर्ष की अवधि में पड़ता हो ? उदाहरणार्थ, यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने दूसरे पंचांग वर्ष (calendar year) में भी अवकाश पर जाने से पूर्व, दीर्घावकाश को मिलाकर एक सम्पूर्ण वर्ष की ड्यूटी पूरी नहीं की है तो एक महीने की भिन्न जो अवकाश-लेखे से घटायी जानी चाहिए, वह भिन्न होगी जो दीर्घावकाश को मिलाकर ड्यूटी की अवधि की सम्पूर्ण वर्ष से बनती हो। आगे एक जटिल समस्या यह है कि यदि उसने इस एक वर्ष से कम की अवधि में पड़ने वाले सम्पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग नहीं किया है, तो जो राशि घटायी जायेगी वह इस अवधि के उसी अनुपात में होगी, जो वास्तविक रूप से उपभोग (avail) किये गये दीर्घावकाश की अवधि तथा बारह महीनों की शेष अवधि के अवकाश का बारह माह की सम्पूर्ण दीर्घावकाश की अवधि से है।

उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जिनको एक वर्ष में एक ही नहीं बल्कि दो दीर्घावकाश दिये जाते हैं, दोनों दीर्घावकाशों की अवधियों को मिलाकर एक ही समझना चाहिये।

2. भारत सरकार के वित्त-विभाग के संकल्प (resolution) संख्या 1260-सी०एस०आर०, दिनांक 21 दिसम्बर, 1921 के प्रयोजनों के लिए दीर्घावकाश विभाग का सरकारी कर्मचारी जिसने दीर्घावकाश को औसत वेतन के अवकाश में सम्मिलित किया हो एक बार कुल चार महीने की अवधि को ही पेंशन के लिए अपनी सेवा में गिना जा सकता है, सिवाय उन मामलों के, उपर्युक्त दीर्घावकाश को सम्पूर्ण अवधि चार महीने जिनमें या उससे अधिक उस दशा में अवकाश तो नहीं, परन्तु दीर्घावकाश की सम्पूर्ण अवधि सेवा के लिये गिन ली जायेगी।

(ग) विवशता के आवश्यक (urgent necessity) मामलों में जब निम्न वर्ग के कर्मचारी के अतिरिक्त (except) कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1936 के पूर्व नियुक्त हुआ हो, अवकाश माँगे और

6/10

उसको कोई अवकाश देय न हो तो नियम 77 और 81-क में दी गई अवधियों से इस नियम के खण्ड (ख) में दी हुई अवधि को घटाकर शेष में दीर्घावकाश विभाग में की गई ड्यूटी के प्रत्येक दो वर्ष के लिए एक महीना बढ़ा देना चाहिये।

नियम 82 (ग) से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश

दीर्घावकाश विभाग (vacation department) के सरकारी कर्मचारी को यह अतिरिक्त अवकाश प्रदान किया जा सकता है, जो इस नियम के अन्तर्गत जमा किया जाये चाहे उसके अवकाश-लेखे में ऋण शेष ही क्यों न हो। इस नियम के अन्तर्गत जो 1 महीना जोड़ा जाता है, वह ड्यूटी के प्रत्येक पूरे दो वर्षों पर दिया जाता है और दो वर्षों से कम अवधि के लिये आंशिक योग करने की अनुमति नहीं है।

(घ) निम्न श्रेणी (इनफीरियर) के कर्मचारी के अतिरिक्त जब कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1936 से पूर्व नियुक्त हुआ हो, दीर्घावकाश (vacation) को अवकाश (leave) से मिला दे, तो अवकाश की उस विशेष अवधि में जो औसत वेतन पर अवकाश की अधिकतम अवधि सम्मिलित की जा सकती है, उसे निकालने के लिये दीर्घावकाश की अवधि को अवकाश ही माना जायेगा।

नियम 82 से सम्बन्धित लेखा-परीक्षा अनुदेश

1. (1) इस नियम के अन्तर्गत उस प्रत्येक एक वर्ष की ड्यूटी में से जिसमें सरकारी कर्मचारी ने दीर्घावकाश का उपभोग (avail) किया हो जो एक महीना इस नियम के अन्तर्गत घटा दिया जाता है, 1 जनवरी, 1922 से लिये जाने वाले दीर्घावकाश तथा उसके बाद उपार्जित अवकाश में से घटाने का अभिप्राय है।

(2) इस प्रकार से दीर्घावकाश विभाग के सरकारी कर्मचारी के मामले में नियम 77 के अन्तर्गत उसके अवकाश-लेखे में जो अवकाश जमा किया जाएगा, वह निम्नलिखित होगा :

(i) 1 जनवरी, 1922 को उसके लेखे में जो विशिष्ट अवकाश था, अर्थात् असैनिक सेवा विनियमों के अनुच्छेद 272 से 275 तक के अन्तर्गत उपार्जित विशेषाधिकार (privilege) अवकाश, तथा

(ii) 31 दिसम्बर, 1921 तक ड्यूटी या दीर्घावकाश (privilege leave) पर व्यतीत की गई अवधि का 1/12, तथा

*   *   *

(iii) 1 जनवरी, 1922 से ली गई ड्यूटी या दीर्घावकाश में व्यतीत अवधि का 2/11।

*   *   *

उसमें से प्रत्येक एक वर्ष की ड्यूटी में से जिसमें वह 1 जनवरी, 1922 के बाद दीर्घावकाश का उपयोग करे, एक महीना घटा दिया जाएगा। वैसे ही नियम 81 (क) और 81 (ख) के अधीन अनुमन्य (admissible) सम्पूर्ण अवकाश में से प्रत्येक एक वर्ष की ड्यूटी में से जिसमें वह 1 जनवरी, 1922 के बाद दीर्घावकाश लेता है, एक महीना घटा दिया जाएगा।

2. इस नियम के अन्तर्गत अवकाश-लेखे में जो अवधि जमा की जाएगी तथा नियम 81(क) के अन्तर्गत जो देय अधिकतम में जोड़ी जाएगी वह इस नियम के अन्तर्गत लिये गये अतिरिक्त अवकाश की वास्तविक अवधि होगी और न कि कल्पित रूप से अनुमन्य (theoritically permissible) अवधि, अर्थात् प्रत्येक दो वर्ष की ड्यूटी के लिए एक महीना।

3. यह अभिप्राय नहीं है कि असैनिक सेवा विनियमों के अनुच्छेद 278 में अवकाश तथा दीर्घावकाश के संयुक्त (combine) करके लगाये हुये बन्धन मूल नियमों के अन्तर्गत भी लगे रहें। किन्तु इस प्रकार के संयोजन (combination) पर नियम 82 (घ) में उल्लिखित शर्तें लागू होती हैं और इस प्रकार

दीर्घावकाश दो अवधियों के बीच में पड़ने देने की अनुमति है (intervene between two periods)। इसी प्रकार, दीर्घावकाश को अवकाश के पहले या बाद में या पहले और बाद में, दोनों तरह, संयुक्त किया जा सकता है।

83. (1) राज्यपाल किसी ऐसे कर्मचारी को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी हो जानबूझकर किसी के द्वारा चोट पहुँचाने के कारण अथवा अपने सरकारी कर्तव्यों (official duties) के उचित पालन करने में या उसके फलस्वरूप चोट लग जाने अथवा अपनी अधिकारीय स्थिति (official position) के फलस्वरूप चोट लग जाने के कारण विकलांग हो गया हो, विशेष विकलांगता छुट्टी स्वीकृत कर सकते हैं।

(2) ऐसा अवकाश उस समय तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि विकलांगता उस घटना के तीन महीने के अन्दर प्रकट न हो गई हो, जिसको उसका कारण बताया गया हो तथा विकलांग व्यक्ति ने उस पर ध्यान आकर्षित करने में समुचित शीघ्रता न की हो। परन्तु राज्यपाल, यदि विकलांगता के कारण के बारे में सन्तुष्ट हों, तो वे उन मामलों में भी अवकाश प्रदान किये जाने की अनुमति दे सकते हैं, जिनमें विकलांगता उस घटना के तीन महीने के पश्चात् भी प्रकट हुई हो (manifested) जो उसका कारण हो।

(3) प्रदान किये गये अवकाश की अवधि उतनी होगी जितने की आवश्यकता कोई चिकित्सीय परिषद् (medical board) प्रमाणित कर दे। वह बिना चिकित्सीय परिषद् के प्रमाण-पत्र के बढ़ाई नहीं जाएगी और किसी भी दशा में चौबीस महीने से अधिक न होगी।

(4) ऐसा अवकाश किसी भी प्रकार के अवकाश से संयुक्त (combine) किया जा सकता है।

(5) ऐसा अवकाश एक बार से भी अधिक बार प्रदान किया जा सकता है, यदि विकलांगता बढ़ जाए या आगे चलकर वैसी ही परिस्थितियों में पुनः प्रकट होती जाए, परन्तु किसी भी एक विकलांगता के परिणामस्वरूप इस प्रकार चौबीस महीने से अधिक का अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा।

(6) पेंशन के लिये सेवा का हिसाब लगाने के लिये ऐसा अवकाश ड्यूटी माना जाएगा और, नियम 78 (ख) के प्रावधान को छोड़कर, अवकाश-लेखे से हटाया नहीं जाएगा।

(7) केवल उन मामलों को छोड़कर जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, ऐसे अवकाश में अवकाश-वेतन बराबर होगा—

(क) ऐसे अवकाश की अवधि के पहले चार महीनों में जिसमें इस नियम के खण्ड (5) के अन्तर्गत प्रदान किया गया अवकाश भी सम्मिलित है, औसत वेतन मिलेगा, तथा

(ख) ऐसे अवकाश की शेष अवधि में अर्द्ध औसत वेतन के या सरकारी कर्मचारी के विकल्प पर, ऐसी अवधि के लिये जो उसे अन्यथा औसत वेतन पर देय अवकाश की अवधि से हों औसत वेतन के :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियम 89 के उपनियम (2) में दी हुई तालिका (table) में निर्दिष्ट अधिकतम उस नियम में दी हुई किसी भी बात के होते हुए भी ऐसे अवकाश की सम्पूर्ण अवधि पर लागू होंगे तथा नियम 90 में दी गई तालिका में निर्दिष्ट नियम उस समय लागू होंगे, जब उस नियम में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे अवकाश में मिलने वाला अवकाश-वेतन अर्द्ध-औसत वेतन (half average pay) के बराबर हो।

अपवाद—ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में जो मूल नियम 81-ख या सहायक नियम 157-क से नियन्त्रित होते हों—

(i) उपखण्ड (क) में निर्धारित चार माह की सीमा का तात्पर्य 120 दिन की अवधि समझा जाएगा;

39	औषधि निघंटु (Materia Medica) में प्रयोगशाला सहायक	सृजित किये जाने के दिनांक से (28 नवम्बर, 1949)	
40	पशु पुष्टाहार में प्रयोगशाला सहायक	सृजित किये जाने के दिनांक से (1 अगस्त, 1950)	
41	शरीर-रचना विज्ञान में प्रयोगशाला परिचारक	सृजित किये जाने के दिनांक से (5 जुलाई, 1948)	
42	तदैव	सृजित किये जाने के दिनांक से (1 सितम्बर, 1948)	
43	शरीर-क्रिया विज्ञान में प्रयोगशाला परिचारक	सृजित किये जाने के दिनांक से (30 अगस्त, 1948)	
44	स्वास्थ्य विज्ञान में प्रयोगशाला परिचारक	सृजित किये जाने के दिनांक से (20 सितम्बर, 1948)	
45	औषधि निघंटु (Materia Medica) में प्रयोगशाला परिचारक	सृजित किये जाने के दिनांक से (6 दिसम्बर, 1948)	
46	परजीवी विज्ञान में प्रयोगशाला परिचारक	सृजित किये जाने के दिनांक से (31 जनवरी, 1949)	
47	तदैव	सृजित किये जाने के दिनांक से (18 जुलाई, 1949)	
48	रोग विज्ञान तथा जीवाणु विज्ञान में प्रयोगशाला परिचारक	सृजित किये जाने के दिनांक से (8 फरवरी, 1950)	
49	पशु पुष्टाहार में प्रयोगशाला परिचारक	सृजित किये जाने के दिनांक से (18 फरवरी, 1950)	
50	पशु आनुवंशिकी तथा प्रजनन में प्रयोगशाला परिचारक	सृजित किये जाने के दिनांक से (1 अप्रैल, 1954)	शा० आ० सं० 3125/बारह ड-540-51, दिनांक 13 नवम्बर, 1957
51	पशु प्रबन्ध में प्रयोगशाला परिचारक	सृजित किये जाने के दिनांक से (1 अप्रैल, 1954)	तदैव

(7) गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर के प्रोफेसरों, रीडरों, लेक्चरारों तथा डिमान्सट्रेटरों के पदों को उनके सृजित होने की तिथि से दीर्घावकाशी घोषित कर दिया गया है।

144. [*निकाल दिया गया।*]

145. सरकारी कर्मचारी जिसको अपने दीर्घावकाश के कुछ अंश में अपने स्थान में ही कार्यवश रहना पड़ता है, तो यह नहीं समझा जाता कि उसने दीर्घावकाश का लाभ उठाया, यदि वह ड्यूटी के

अतिरिक्त अपने स्थान से 15 दिन से अधिक अनुपस्थित नहीं रहा। प्रत्येक ऐसे सरकारी कर्मचारी को दीर्घावकाश के समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् सहायक नियम 146 के नीचे टिप्पणी 2 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।

146. अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये यही समझा जायेगा कि उन्होंने दीर्घावकाश लिया है, जब तक कि उच्च अधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनको ऐसे दीर्घावकाश या उसके कुछ अंश से वंचित न किया गया हो। सरकारी कर्मचारी जिसे दीर्घावकाश के समय केवल चालू कार्य करना पड़ता है और जिसके लिए उसकी मुख्यालय में उपस्थिति आवश्यक नहीं है परन्तु जो उसके ही द्वारा किसी अन्य स्थान में की जा सकती है अथवा कोई अन्य सरकारी कर्मचारी उस ड्यूटी को कर सकता है, तो यही समझा जायेगा कि वह दीर्घावकाश पर रहा। सरकारी कर्मचारी जो दीर्घावकाश की अवधि में अपने ड्यूटी के स्थान से बाहर चला जाता है उससे यह आशा की जाती है कि वह शासन पर बिना अतिरिक्त खर्चा डाले हुए अपने चालू कार्य को सम्पन्न किये जाने का उत्तरदायी होगा और उसके लिए प्रबन्ध कर देगा।

टिप्पणी

(1) जब किसी उच्च अधिकारी के आदेशानुसार दीर्घावकाश का केवल कोई अंश ही छोड़ा जाता है, तो उस मामले में नियम 145 के प्रावधान लागू होंगे।

(2) यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उच्च प्राधिकारी के आदेशानुसार दीर्घावकाश को या उसके किसी अंश को छोड़ना पड़ता है, तो दीर्घावकाश समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् महालेखाकार को निम्न प्रपत्र पर प्रमाण-पत्र भेजना चाहिये। राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जिस पर सहायक नियम 157-क के अन्तर्गत दिया हुआ अपवाद लागू होता है, प्रमाण-पत्र को दीर्घावकाश के समाप्त होने के बाद नहीं बल्कि जब वह अवकाश के लिए आवेदन-पत्र दे तो उसी के साथ ही महालेखाकार (Accountant General) को भेजना चाहिए। राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में प्रमाण-पत्र स्वयं उसी के द्वारा ही, उस उच्च प्राधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजना चाहिए, जिसके आदेशानुसार दीर्घावकाश को पूर्णरूप से या उसके कुछ अंश को छोड़ना पड़ा है। अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में प्रमाण-पत्र को उच्च अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (countersign) कराके उसके अवकाश लेखे के साथ लगा देना चाहिये तथा उस आशय की एक प्रविष्टि उसकी सेवा-पुस्तिका में भी कर देनी चाहिए—

"मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुझे..............................(विद्यालय, महाविद्यालय आदि) के ....वर्ष के दीर्घावकाश की अवधि में ड्यूटी पर...............(उच्च प्राधिकारी का नाम) के आदेशानुसार, जो पत्र-संख्या..........................दिनांक..........................द्वारा दिया गया, रोक लिया गया था।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
पदनाम..............................

प्रतिहस्ताक्षरित
उच्च प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम..............................

(3) उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जो अपने स्थानान्तरण के कारण दीर्घावकाश की पूरी अवधि का उपभोग करने से वंचित रहा हो, मूल नियम 82 (ख) के प्रयोजन के लिये दीर्घावकाश के उपभोग किये गये अंश में से वह समय घटाया जायेगा, जो उसने वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने में बिताया हो न कि वह पूरा कार्यभार ग्रहण काल जो नियमों के अन्तर्गत उसे अनुमन्य (admissible) हो।